वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों पर बीजोत्पादन योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अनुदेश :–

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–10/फसल–प्रक्षेत्र–27/2025–पी0पी0एम0–63 दिनांक–13.06.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम में बीज उत्पादन हेतु कुल 1715.12563 लाख (सत्रह करोड़ पन्द्रह लाख बारह हजार पाँच सौ तिरेसठ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के अनुमंडलीय प्रक्षेत्रों एवं जिला प्रक्षेत्रों पर खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम में कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची–1(i,ii,iii), 2, 3 (i,ii,iii), 4, 5, 6, 7 एवं 8 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में किया जायेगा।

(क) योजना का मुख्य उद्देश्यः–

I. किसानों के फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ आय में वृद्धि हेतु गुणवत्तायुक्त बीज उचित समय एवं सही मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु बीजोत्पादन करना।

II. सीड रोलिंग प्लान के अनुसार नवीनतम प्रभेदों के प्रजनक बीज का उपयोग कर आधार बीज का उत्पादन किया जाना।

III. मिलेट्स एवं दलहनी फसलों के बीजों के उत्पादन पर विशेष ध्यान देना ताकि इनके बीजों की कमी को दूर किया जा सके।

IV. प्राथमिकता के आधार पर तेलहनी फसलों यथा राई/सरसों, तोरिया, मुंगफली, तिल एवं तीसी बीज उत्पादन करना।

(ख) योजना के तहत निम्नांकित घटक स्वीकृत हैं :–

I. खरीफ 2025 अंतर्गत बीज उत्पादन

II. रबी 2025 अंतर्गत बीज उत्पादन

III. गरमा 2025 अंतर्गत बीज उत्पादन

IV. प्रजनक/आधार बीज का क्रय

V. बीज उत्पादन लागत

VI. (vi) विविध/आकस्मिकता

(ग) घटकवार संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

I. **खरीफ 2025 अंतर्गत बीज उत्पादन** – इस घटक अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के खरीफ मौसम में कुल 1619.10 हे0 आच्छादन का लक्ष्य है। योजना संबंधित स्वीकृत्यादेश के अनुसूची–1(i) के अनुसार विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन का कुल लक्ष्य 32844.20 क्विं0 निर्धारित है। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अपने प्रक्षेत्रों पर उत्पादकता/उत्पादन संबंधित लक्ष्य अनुरूप बीज उत्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

II. **रबी 2025 अंतर्गत बीज उत्पादन–** इस घटक अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के रबी मौसम में कुल 1299.00 हे0 आच्छादन का लक्ष्य है। योजना संबंधित स्वीकृत्यादेश के अनुसूची–1(ii) के अनुसार विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन का कुल लक्ष्य 25847.50

Scanned with OKEN Scanner

क्विं0 निर्धारित है। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अपने प्रक्षेत्रों पर उत्पादकता/उत्पादन संबंधित लक्ष्य अनुरूप बीज उत्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

III. **गरमा 2025 अंतर्गत बीज उत्पादन–** इस घटक अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के खरीफ मौसम में कुल 80 हे0 आच्छादन का लक्ष्य है। योजना संबंधित स्वीकृत्यादेश के अनुसूची–1(iii) के अनुसार विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन का कुल लक्ष्य 800 क्विं0 निर्धारित है। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अपने प्रक्षेत्रों पर उत्पादकता/उत्पादन संबंधित लक्ष्य अनुरूप बीज उत्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

IV. **प्रजनक बीज का क्रय, प्राप्ति, भंडारण एवं वितरण–** प्रजनक बीज प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए SATHI Portal पर ससमय Indent कर प्रजनक बीज का उठाव करने हेतु कृषि निदेशक, बिहार द्वारा नामित एवं प्राधिकृत पदाधिकारी भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्धारित संस्थानों से फसलवार एवं प्रभेदवार बीज का उठाव करना सुनिश्चित करेंगे। इस घटक अंतर्गत प्रजनक बीज के क्रय हेतु 141.46353 लाख रू0 की स्वीकृति प्राप्त है।

जिला कृषि पदाधिकारी, पटना प्रजनक बीज क्रय एवं उठाव हेतु राशि का व्यय करेंगे। नामित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी विभिन्न संस्थानों से प्रजनक बीज क्रय करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी, पटना से समन्वय स्थापित कर भंडारित करना सुनिश्चित करेंगे। जिला/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा योजनानुसार निर्धारित प्रजनक बीज का उठाव करेंगे एवं अपने संबंधित प्रक्षेत्रों में लक्ष्य अनुरूप आच्छादन/उत्पादन करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी सूचना कृषि निदेशालय को ससमय उपलब्ध करायेंगे।

V. **बीज उत्पादन लागत–** इस घटक अंतर्गत संबंधित जिला कृषि पदधिकारी एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को आधार बीज उत्पादन हेतु मौसमवार एवं फसलवार उत्पादन इकाई लागत निर्धारित किया गया है जो स्वीकृत्यादेश के अनुसूची–3 में वर्णित है। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी निर्धारित इकाई लागत के आलोक में फसलवार बीजोत्पादन करेंगे।

VI. **विविध/आकस्मिकता–** इस घटक से संबंधित जिला कृषि पदधिकारी एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रक्षेत्रों पर किये जा रहें विभिन्न कार्यों यथा– बीज उठाव, बीज निबंधन एवं निरीक्षण शुल्क, उत्पादित रॉ बीज को बिहार राज्य बीज निगम के गोदाम तक पहुँचाने हेतु उठाव एवं परिवहन, पुराने आधारभूत संरचना, गोदाम, थ्रेसिंग फ्लोर, कृषि यंत्र मरम्मति, बिजली बिल, टॉरपोलिन का क्रय, प्रक्षेत्र की जमीन का म्यूटेशन/लगान शुल्क इत्यादि के लिए अनुमंडलवार/जिलावार आकस्मिकता मद में स्वीकृत राशि से प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) से अनुमोदन प्राप्त करते हुए व्यय किया जा सकेगा।

(घ) उपरोक्त सभी स्वीकृत घटकों के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश निम्नवत् है :–

I. भारत सरकार से अधियाचित प्रभेदों को जिला प्रक्षेत्रों के लिए जिला कृषि पदाधिकारी एवं अनुमंडलीय प्रक्षेत्रों के लिए अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रभेदों की उपलब्धता नहीं होने पर वैकल्पिक अन्य फसल प्रभेदों के बीज उत्पादन हेतु सरकारी बीज उत्पादन संस्थान/राज्य के कृषि विश्वविद्यालय से प्रजनक बीजों को क्रय कर आच्छादन का लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner

II. संयुक्त निदेशक (शष्य) फसल एवं प्रक्षेत्र/उप निदेशक (शष्य), प्रक्षेत्र कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा विभिन्न फसलों एवं प्रभेदों का निर्धारण जिला एवं अनुमंडलीय प्रक्षेत्रों के लिए किया जायेगा तथा इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को देते हुए सभी जिला एवं अनुमंडलीय कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। यथा संभव एक प्रक्षेत्र पर एक ही फसल/प्रभेद बीज की आपूर्ती की जायेगी।

III. कृषि निदेशालय स्तर से किये गये निर्धारण के आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी, पटना खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम में बीज उत्पादन हेतु प्राप्त प्रजनक बीज का वितरण जिला/अनुमंडलवार/प्रक्षेत्रवार सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी सूचना कृषि निदेशालय को ससमय उपलब्ध करायेगें। बीज का उठाव नहीं होने पर संबंधित जिला/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी पूर्णरूप से जबाबदेह होगें।

IV. जिला एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अपने से संबंधित अनुपलब्धता प्रक्षेत्रों के लिए राज्य स्तर से चयनित फसल/प्रभेद की अनुपयुक्तता की स्थिति में प्रक्षेत्र की भूमि के आधार पर एक से अधिक फसलों का भी बीज उत्पादन कार्य किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में एक प्रक्षेत्र में एक फसल के दो प्रभेदों का बीज उत्पादन कार्य नहीं किया जायेगा ताकि बीज की अनुवांशिक शुद्धता कायम रहे।

V. जिला/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के द्वारा राज्य योजना अंतर्गत स्वीकृत्यादेश में निहित लक्ष्य एवं निर्धारित उत्पादन लागत के अधीन शष्य क्रियाओं यथा जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई आदि सहित सभी आवश्यक उपादानों की व्यवस्था ससमय सुनिश्चित की जायेगी।

VI. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) के द्वारा प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु प्रक्षेत्र से संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक को अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्रक्षेत्र में बीजोत्पादन की प्रगति की समीक्षा मासिक बैठक में अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

VII. संबंधित प्रक्षेत्र प्रभारी के द्वारा बीज गुणन प्रक्षेत्रों में पंक्तियों में बुआई/रोपाई का कार्य अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिए समय पर कृषि यंत्र की उपलब्धता संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

VIII. प्रक्षेत्रों पर बीज उत्पादन से संबंधित सूचना पट्टिका से प्रदर्शित कराया जायेगा।

IX. संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अपने अधीनस्थ जिला प्रक्षेत्रों एवं अनुमंडलीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन कराने हेतु पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।

X. बीज गुणन प्रक्षेत्रों बीज उत्पादन कार्य का निरीक्षण प्रमंडल एवं जिला में पदस्थापित पदाधिकारियों के द्वारा समय–समय पर किया जायेगा तथा प्रक्षेत्र पर संधारित निरीक्षण पंजी में अंकित अभ्युक्ति का अनुपालन संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं प्रक्षेत्र प्रभारी के द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। बीज गुणन प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्य का अनुश्रवण प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) के द्वारा प्रमंडलीय मासिक बैठक में सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

XI. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/जिला कृषि पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कृषि प्रक्षेत्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे एवं निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन अपने मन्तव्य के साथ कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) प्रत्येक माह अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों का निरीक्षण कार्यक्रम इस प्रकार तैयार करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रक्षेत्रों का निरीक्षण संभव हो सके।

XII. पी0पी0पी0 मोड अंतर्गत आवंटित प्रक्षेत्रों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण–स्वीकृत्यादेश की कंड़िका–12 के अनुसार पी0पी0पी0 मोड में आवंटित सभी प्रक्षेत्रों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य), जिला कृषि पदाधिकारी एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के द्वारा संपादित किया जायेगा एवं एजेंसी के साथ किये गये एकरारनामा के शर्तों का शतप्रतिशत अनुपालन भी करेंगे।

XIII. प्रक्षेत्रों के मिट्टी नमूना का संग्रहण– प्रक्षेत्रों के सभी प्लॉटों से मिट्टी नमूना का संग्रहण संबंधित प्रक्षेत्र प्रभारी के द्वारा विधिवत किया जायेगा तथा जिला/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के माध्यम से मिट्टी नमूना को जिला स्तरीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को जाँच हेतु भेजा जायेगा। सहायक निदेशक (रसायन) यथा–शीघ्र मिट्टी जाँच प्रतिवेदन संबंधित जिला/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, मिट्टी जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का व्यवहार अपने प्रक्षेत्रों में सुनिशित करायेगें।

XIV. कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं फसल क्षति आकलन– बीज उत्पादन कार्य हेतु नजदीकी कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों का तकनीकी मार्गदर्शन, सहयोग एवं अनुशंसा प्राप्त किया जायेगा।

कृषि प्रक्षेत्र में अगर फसल की क्षति (बाढ़ या अन्य प्राकृतिक कारणों से) होती है तो त्रिस्तरीय ज़ाँच कमिटी द्वारा क्षति का आकलन कर अद्यतन व्यय की गई राशि का प्रतिवेदन संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अविलम्ब उपलब्ध करायेंगे। जिला प्रक्षेत्र में त्रिस्तरीय जाँच समिति के सदस्य जिला कृषि पदाधिकारी, नजदीकी के0वी0के0 के वैज्ञानिक तथा प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) होगें। अनुमंडलीय प्रक्षेत्र में जाँच समिति के सदस्य अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, नजदीकी के0वी0के0 के वैज्ञानिक तथा जिला कृषि पदाधिकारी होगें। जाँच हेतु पत्र निर्गत करने का दायित्व जिला प्रक्षेत्र के लिए जिला प्रक्षेत्र के साथ–साथ अनुमंडलीय प्रक्षेत्र के लिए संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं अनुमंडलीय प्रक्षेत्र के लिए संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी होगें।

XV. फसल जाँच कटनी प्रयोग– प्रक्षेत्र में बीज उत्पादन की फसलों के परिपक्व होने पर जिला/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा विधिवत फसल जॉच कटनी प्रयोग आयोजित करायी जायेगी जिसमें जिला एवं प्रमंडल स्तर के कृषि पदाधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। फसल जांच कटनी प्रतिवेदन के आधार पर अनुमानित उत्पादन संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

XVI. बिहार राज्य बीज निगम द्वारा निर्धारित मानक सुनिश्चित करते हुए प्रोसेसिंग सेन्टर पर बीज की प्राप्ति कराना:– फसल कटनी एवं दौनी के उपरांत बिहार राज्य बीज निगम द्वारा निर्धारित मानक को सुनिश्चित करते हुए यथाशीघ्र नजदीकी प्रोसेसिंग

Scanned with OKEN Scanner

सेन्टर पर बीज की प्राप्ति संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा करायी जायेगी तथा इससे संबंधित प्राप्ति रसीद की प्रति कृषि निदेशालय को अनिवार्य रूप से भेजी जायेगी। बिहार राज्य बीज निगम का दायित्व है कि संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के प्रक्षेत्रों पर उत्पादित आधार रॉ बीज को प्राप्त करेगें। प्राप्त किये गये आधारा बीज की मात्रा के अनुसार मूल्य का निर्धारण कर कुल राशि एक वित्तीय वर्ष के अन्दर कृषि निदेशक को उपलब्ध करायेगें।

बिहार राज्य बीज निगम के Processing Plant में भेजने से पहले प्रक्षेत्र में उत्पादित बीज किसी भी कारणवश बीज अबीज घोषित होता है तो ऐसी परिस्थिति में अबीज का निष्पादन निलामी के माध्यम से प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) के अध्यक्षता में जिला/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा इससे प्राप्त राजस्व को अविलम्ब कोषागार के माध्यम से सरकारी कोष में राशि जमा करायी जायेगी।

XVII. जिला एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के द्वारा बीज उत्पादन हेतु आच्छादित क्षेत्रफल के अनुसार बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेन्सी (बसोका) से ससमय निबंधन कराना अनिवार्य होगा। फसल उत्पादन के समय एजेंसी (बसोका) के निरीक्षण पदाधिकारी को सहयोग देते हुए प्रथम निरीक्षण तथा अंतिम निरीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।

XVIII. जिला/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अपने से संबंधित प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन के लिए फसलवार निर्धारित लागत के अधीन व्यय करते हुए संबंधित प्रक्षेत्र प्रभारी के माध्यम से बीज उत्पादन का कार्य सुनिश्चित करायेंगे। प्रक्षेत्र में बीज उत्पादन कार्य में समय–समय पर होने वाले व्यय की निकासी ससमय की जायेगी तथा व्यय प्रतिवेदन जिला/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी वरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

XIX. जैविक बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए धनरूआ, नरौली, लक्ष्मीपुर, विहपुर, पूसा, चौसा, बेलौरी, प्राणपुर एवं अररिया प्रक्षेत्रों को जैविक प्रक्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें जैविक निबधन, उत्पादन कार्य क्रिन्यावित किया जायेगा एवं इसकी समीक्षा वरीय पदाधिकारियों द्वारा की जायेगी।

XX. जिला एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्रक्षेत्रों पर किये जा रहे बीज उत्पादन कार्यों से संबंधित प्रतिवेदनों को प्रपत्र संख्या–1 से 7 तक में ससमय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

XXI. प्रत्येक क्षेत्रीय पदाधिकारियों का मौसमवार निरीक्षण का लक्ष्य निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है :–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम	प्रक्षेत्र निरीक्षण का लक्ष्य
1	प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)	4
2	प्रमंडलीय उप निदेशक (शष्य), (प्रक्षेत्र)	6
3	जिला कृषि पदाधिकारी	4
4	प्रमंडलीय उप निदेशक (पौ0सं0)	6
5	सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण)	6
6	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी	क्षेत्राधीन सभी प्रक्षेत्र

Scanned with OKEN Scanner

(ड़) पदेन कर्तव्य एवं दायित्व :

1. **हलधर–**

1.1 प्रक्षेत्र पर प्रत्येक कार्य दिवस के दिन उपस्थित रह कर फसल में होने वाली शष्य क्रियाओं को ससमय संपादित करना सुनिश्चित करेगें।

1.2 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र के कर्मियों एवं पदाधिकारियों के निर्देश का अनुपालन करेगें।

1.3 हलधर प्रक्षेत्र पर होने वाले क्रिया–कलापों को सम्पादित करेगें तथा प्रक्षेत्र में उपलब्ध औजार एवं अन्य यत्रों का परिचालन, दक्षता पुर्वक करेगें।

1.4 प्रक्षेत्र को किसी भी प्रकार के नुकसान से रक्षा करेगें।

1.5 अगर प्रक्षेत्र में चौकीदार नहीं है तो फसल, यंत्र, स्टॉक की चोरो एवं जानवरों से रक्षा के लिए पूर्णरूपेण जवाबदेह होगें।

1.6 जरूरत के समय भवन, शेड, सिंचाई एवं निकासी की नाली इत्यादि की मरम्मत करना सुनिश्चित करायेंगे।

1.7 हलधर की अनुपस्थिति में प्रक्षेत्र सहायक उक्त वर्णित सभी उत्तरदायित्वो का निर्वहन करेगें।

2. **प्रक्षेत्र सहायक/क्षेत्र सहायक/प्रक्षेत्र सरदार–**

2.1 प्रक्षेत्र पर प्रत्येक दिन उपस्थित रहेगें।

2.2 प्रक्षेत्र के नक्शा को अद्यतन रखेगें।

2.3 कृषि यंत्रों का निरीक्षण करेगें तथा इसकी उपयोगिता सुनिश्चित करेगे।

2.4 प्रक्षेत्र का मिट्टी जाँच करवाना सुनिश्चित करेगें।

2.5 प्रक्षेत्रों पर वैज्ञानिक तरीके से बीज उत्पादन करेगें। प्रत्येक शष्य क्रियाओं का समय पर निष्पादन करना सुनिश्चित करेगें।

2.6 उचित समय पर अवांछनीय पौधों को खेत से निकलवाना सुनिश्चित करेगें, जिससे प्रभेद की अनुवांशिक शुद्धता कायम रहें।

2.7 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में खड़ी फसल को कीट व्याधि, आवारा जानवर तथा चोरो से बचाव के लिए उचित कदम उठायेगें।

2.8 फसल की ससमय कटनी, सुखवन, बोराबंदी एवं भण्डारण के लिए पूर्ण रूपेन उत्तरदायी होगें तथा उत्पादित बीज की किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जबाबदेह होगें।

अपने उच्चाधिकारी द्वारा दिये गये दायित्वों का निर्वहन करेगें।

प्रक्षेत्र सहायक के अनुपस्थिति में प्रक्षेत्र प्रभारी उक्त वर्णित सभी उत्तरदायित्वो का निर्वहन करेगें।

3. **प्रक्षेत्र प्रभारी–**

3.1 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र के नजरी नक्शा को अद्यतन रखना।

3.2 मौसमवार क्रॉपिंग स्कीम और क्रॉप कलेन्डर तैयार करना।

3.3 बजट की रूप रेखा तैयार करना।

3.4 प्रक्षेत्र के सभी प्रभागों का प्रतिवेदन तैयार करना तथा ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।

3.5 प्रक्षेत्र प्रभारी उपादानों के प्रक्षेत्र पर पहुँचने के तुरंत बाद संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक को सूचित कर उपादानों का भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे।

3.6 समय–समय पर कृषि समन्वयक, कृषि वैज्ञानिक एवं वरीय पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर फार्म का निरीक्षण करवाना।

Scanned with OKEN Scanner

3.7 प्रक्षेत्र प्रभारी फार्म मैनुअल में अंकित सभी पंजी का संधारण करेंगे।

3.8 प्रबंधन से संबंधित समस्त कार्य करेंगे।

3.9 प्रक्षेत्रों पर निर्धारित फसलों का उत्पादन लक्ष्य से कम होने की स्थिति में प्रक्षेत्र प्रभारी जबाबदेह होगें।

3.10 प्रक्षेत्र प्रभारी के अनुपस्थिति में कृषि समन्वयक उक्त वर्णित सभी उत्तरदायित्वो का निर्वहन करेगें।

4 **<u>कृषि समन्वयक</u> –**

4.1 स्वीकृत्यादेश के कंड़िका 17 के अनुसार जिन बीज गुणन प्रक्षेत्रों में प्रक्षेत्र प्रभारी पदस्थापित नहीं है उन प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रक्षेत्र से संबंधित पंचायत के कृषि समन्यवक, प्रक्षेत्र प्रभारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे। इसके लिए प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) समीक्षा कर विधिवत आदेश निर्गत करेंगें।

4.2 कृषि समन्वयक प्रक्षेत्र पर उपादानों के पहुँचने के बाद उसका भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। प्रक्षेत्र प्रभारी उपादानों के प्रयोग की तिथि एवं समय की पूर्व सूचना अपने संबंधित कृषि समन्वयक को देगे तथा कृषि समन्वयक की उपस्थिति में उपादानों का प्रयोग किया जायेगा। कृषि समन्वयक ओडी पंजी में उपादान के प्रयोग यथा बीज, उर्वरक, पौधा संरक्षण दवा एवं डीजल आदि का ब्यौरा दर्ज करेंगे। संबंधित कृषि समन्वयक अपने उपस्थिति में ससमय उपादानों का प्रयोग कराने के लिये पूर्ण रूप से जवाबदेह होगें।

4.3 कृषि समन्वयक के द्वारा प्रत्येक सप्ताह बीज गुणन प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जायेगा तथा टिप्पणी निरीक्षण पुस्तिका में अंकित करेंगे।

4.4 प्रक्षेत्रों में फसल कटनी प्रयोग के समय संबंधित क्षेत्र के कृषि समन्वयक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

4.5 प्रक्षेत्रों का बीज उत्पादन की तकनीकी संबंधित समस्त कार्य करेंगे।

5. **<u>अनुमंडल कृषि पदाधिकारी</u>–**

5.1 अपने क्षेत्राधीन सभी प्रक्षेत्रों का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

5.2 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अपने स्तर से अपने अधीनस्थ सभी प्रक्षेत्रों के लिये ससमय उपादानों का क्रय कर प्रक्षेत्रों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5.3 अपने अधीनस्थ प्रक्षेत्रों का साप्ताहिक/कम से कम प्रत्येक पन्द्रह दिनों पर निश्चित रूप से निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण टिप्पणी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं प्रमंडलीय उप निदेशक(शष्य), प्रक्षेत्र को उपलब्ध करायेंगे।

5.4 समय–समय पर कृषि वैज्ञानिक एवं वरीय पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर प्रक्षेत्र का निरीक्षण करवायेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे। फसल क्षति की स्थिति में विशेष रूप से कृषि वैज्ञानिक एवं वरीय पदाधिकारी का निरीक्षण अनिवार्य है। त्रिस्तरीय जाँच कमिटी से जाँच का प्रतिवेदन भेजेगें।

5.5 चयनित जैविक प्रक्षेत्रों पर जैविक बीज उत्पादन करायेगें प्रक्षेत्रों के बीजों को अलग से भण्डारित कराया जायेगा।

5.6 अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी अपने बीज गुणन प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन कराने हेतु पूर्ण रूपेण जिम्मेवार होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

5.7 प्रक्षेत्र में आधार बीज उत्पादन के लिए प्रक्षेत्र में बीज उत्पादन कार्य की समय तालिका (क्रॉप कलेन्डर) तैयार कर उसका अनुश्रवण करेगें एवं अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेगे।

5.8 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध संसाधनों एवं अन्य परिसम्पतियों का ब्यौरा समेकित कर विभाग को उपलब्ध करायेगें।

5.9 PPP मोड में आवंटित सभी प्रक्षेत्रों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगें एवं एजेंसी के साथ किये गये एकरारनामा के शर्तों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायेगे।

5.10 प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रॉ आधार बीज को ससमय बिहार राज्य बीज निगम के नजदीकी प्रसंकरण ईकाई पर जमा करेगें एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त करेगे। बिहार राज्य बीज निगम को प्राप्त कराये गये रॉ आधार बीज की मात्रा से संबंधित प्राप्ति रशीद की छाया प्रति कृषि निदेशक एवं संयुक्त निदेशक (शष्य) फसल एवं प्रक्षेत्र, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगें।

6. **<u>सहायक निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र</u>**

6.1 जिला अवस्थित जिला प्रक्षेत्रों का प्रत्येक माह में कम से कम एक बार निरीक्षण अवश्य करेंगे तथा बीज उत्पादन कार्यो के सम्पादन में जिला कृषि पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेगें।

6.2 अनुमंडलीय राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों का प्रत्येक माह में कम से कम एक बार सभी प्रक्षेत्रों का निरीक्षण करेगें साथ–साथ जिला स्थित सभी प्रक्षेत्रों के बीजोत्पादन में सहयोग करेगें। समय–समय पर निरीक्षण एवं जाँच प्रतिवेदन तैयार कर ससमय अपने वरीय पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

7. **<u>सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)–</u>**

7.1 अपने जिले के सभी राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र में उपलब्ध सभी कृषि यंत्रों का नियमित निरीक्षण करेगें तथा यंत्रों के रख–रखाव से संबंधित सुझाव प्रक्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को देगें।

7.2 यंत्र के सामान्य गड़बड़ी का समाधान सहायक निदेशक, कृषि अभियंत्रण के द्वारा ही कर दिया जाय।

7.3 यंत्र में विशेष खराबी होने पर राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर ठीक करवाना सुनिश्चित करेगें।

8. **<u>सहायक निदेशक(रसायन)–</u>**

अपने जिले के अधीन सभी राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों की मिट्टी जाँच कर ससमय Soil Health Card उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें तथा मिट्टी जाँच के आधार पर उर्वरक का उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

9. **<u>सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) –</u>**

9.1 प्रक्षेत्रों में लगें फसलों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा टिप्पणी निरीक्षण पंजी में दर्ज करेंगे।

9.2 कीट–व्याधि से संबंधित रोक–थाम की सलाह देगें।

9.3 जैविक प्रक्षेत्रों पर जैविक उपादान के व्यवहार एवं जैविक क्रियाओं का पर्यवेक्षण करेंगे।

10. **<u>जिला कृषि पदाधिकारी–</u>**

10.1 जिला प्रक्षेत्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

10.2 जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिला अधीन सभी प्रक्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण टिप्पणी संयुक्त निदेशक(शष्य) प्रमंडलीय तथा प्रमंडलीय उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र को उपलब्ध करायेंगे।

10.3 स्थानीय स्तर पर प्रक्षेत्र संबंधी समस्याओं का निराकरण करेंगे।

10.4 आवश्यकतानुसार अन्य कर्मियों को प्रक्षेत्रों की जिम्मेदारियाँ देगे।

10.5 फसल जॉच कटनी में आने वाली समस्याओं को जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा दूर किया जायेंगा।

10.6 PPP मोड में आवंटित प्रक्षेत्रों का पर्यवेक्षण करेगें एवं एजेंसी के साथ किये गये एकरारनामा के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करायेगे।

10.7 प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रॉ आधार बीज को ससमय बिहार राज्य बीज निगम के नजदीकी प्रसंस्करण ईकाई पर जमा करेगें एवं प्राप्ति रशीद प्राप्त करेगे। बिहार राज्य बीज निगम को प्राप्त कराये गये रॉ आधार बीज की मात्रा से संबंधित प्राप्ति रशीद की छाया प्रति कृषि निदेशक एवं संयुक्त निदेशक (शष्य) फसल एवं प्रक्षेत्र, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगें।

11. <u>प्रमंडलीय उप निदेशक (पौधा संरक्षण)–</u>

11.1 प्रक्षेत्रों में लगी फसलों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे तथा मन्तव्य निरीक्षण पंजी में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

12. <u>प्रमंडलीय उप निदेशक(शष्य), प्रक्षेत्र–</u>

12.1 प्रमंडलीय उप निदेशक(शष्य), प्रक्षेत्र अपने प्रमंडल में बीज उत्पादन कार्य के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे।

12.2 प्रक्षेत्र से संबंधित मासिक बैठक करेंगे एवं प्रतिवेदन उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

12.3 जिला/अनुमंडलों से प्राप्त निरीक्षण टिप्पणी की समीक्षा कर मुख्य बिन्दुओं को संयुक्त निदेशक (शष्य) प्रमंडलीय एवं कृषि निदेशालय बिहार, पटना को अवगत करायेगे।

13. <u>प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य)–</u>

13.1 प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य) अपने प्रमंडल के सभी प्रक्षेत्रों के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे।

13.2 संयुक्त निदेशक(शष्य) अपने अधीनस्थ कृषि प्रक्षेत्रों का नियमित रूप से जाँच करायेंगे एवं निर्धारित प्रपत्र के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

13.3 प्रमंडल स्तर से फसल जाँच कटनी हेतु पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करेंगे।

13.4 मासिक बैठक कर प्रतिवेदन कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

13.5 PPP मोड में आवंटित प्रक्षेत्रों का पर्यवेक्षण करेगें एवं एजेंसी के साथ किये गये एकरारनामा के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करायेगे।

14. <u>कृषि निदेशक–</u> राज्य स्तर पर योजना के सम्पूर्ण नियंत्री पदाधिकारी होगें।

(च) बीज उत्पादन कार्य में रखी जाने वाली प्रमुख सावधानियाँ:–

1. बीज स्रोत एवं उसकी प्रमाणिकता सुनिश्चित होनी चाहिए।
2. फसल उत्पादन के समय अवांछित तथा दूसरी प्रजातियों के पौधे का रॉगिंग कराना।
3. उन पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए जो बीज जनित रोग से ग्रस्त हो।

Scanned with OKEN Scanner

4. पूरे क्षेत्र की फसल की कटाई पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद एक साथ करनी चाहिए।

5. बीज फसल लगाते समय पर–परागण रोकने के लिए पृथक्करण दूरी (आईसोलेशन) का ध्यान रखना चाहिए।

7. अनुवांशिक दबाव से होने वाले परिवर्तनों को रोकने के लिए चुने हुए क्षेत्र के लिए अनुशंसित प्रभेदों के ही बीज तैयार करना चाहिये।

8. बीजों के प्रमाणीकरण हेतु राज्य के बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा अनुबंधन अवश्य करा लेना चाहिए।

9. उचित जल निकास वाले समतल क्षेत्रों का ही चुनाव बीजोत्पादन के लिए करना चाहिए।

10. बीजों के अच्छी तरह साफ कर के तथा जूट के बोरों में भर कर भण्डारण करना चाहिए।

11. बीजों का अंकुरण और शुद्धता का परीक्षण भी करना चाहिए।

12. बीजों का प्रसंस्करण करने के बाद ही बोरियों या थैलों में पैक करना चाहिए।

(नितिन कुमार सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 10/फसल (प्रक्षेत्र)–27/2025– 4123 /पटना, दिनांक 14/08/2025

प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ सहायक निदेशक (शष्य)/सभी जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/(प्रक्षेत्र)/प्रक्षेत्र/सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) सहायक निदेशक(रसायन)/सहायक निदेशक (पौ0 सं0) सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (शष्य), प्रमंडलीय उप निदेशक (पौ0 सं0)/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य)/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

Scanned with OKEN Scanner